न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 24 / 2013 (अवमानना प्रार्थना पत्र)

धर्मसिंह पिता स्वर्गीय फतहसिंह जी सुहालका, निवासी दुधिया गणेशजी, मल्लातलाई, उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थी / याची

बनाम

1. भूपेन्द्रसिंह पिता स्वर्गीय फतहसिंह जी सुहालका, निवासी दुधिया गणेशजी, मल्लातलाई, उदयपुर (राज.)
2. हिम्मतसिंह पिता स्वर्गीय फतहसिंह जी सुहालका, निवासी दुधिया गणेशजी, मल्लातलाई, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती शारदा पत्नी नारायण जी सुहालका, निवासी 3, उमंग फतहपुरा, बाठेडा हाउस कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती किरणसिंह पत्नी मनवेन्द्रसिंह जी रावत, निवासी बूझड़ा, कोडियात रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मोहम्मद सिद्धीक पिता अब्दुल रजाक जी मुसलमान, निवासी फारूल आजम कॉलोनी, ओ.टी.सी., डी ब्लॉक, मल्लातलाई, उदयपुर (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क)
सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक प्रार्थी / याची
2– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक विपक्षी सं0 1
3– श्री सुनील शर्मा अभिभाषक विपक्षी सं0 2

———::———

निर्णय **दिनांक 31–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा नंबर 115 / 2006 निर्णय दिनांक 28–03–2011 के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19–05–2011 को अपील पेश की,

जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–05–2011 को ही दिनांक 29–06–2011 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिया एवं यह भी अंकित किया कि उक्त दिनांक तक पत्रावली प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस नहीं की जाती है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–05–2011 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी संख्या 1 की अपील पर जारी की गयी थी। उक्त आदेश के क्रम में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3/2 धर्मसिंह द्वारा आवेदक के रूप में यह अवमानना याचिका मूल अपील के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3/3 हिम्मतसिंह व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 किरण तथा अपील में जो पक्षकार नहीं थे शारदा देवी को विपक्षी संख्या 3 व मोहम्मद सिद्धीक को विपक्षी संख्या 5 बनाकर यह अवामनना याचिका इस न्यायालय में दिनांक 18–10–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अवमानना याचिका दर्ज की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने पर विपक्षी संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से सुनील शर्मा उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। उक्त अवमानना याचिका का विपक्षी द्वारा जवाब भी पेश किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य भी प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण में आवेदक द्वारा कथन किया गया कि मौजा बूझड़ा की आराजी नंबर 650, 651 व 652 के सम्बन्ध में अपील आप न्यायालय में चल रही है, जिसका मुकदमा नंबर 98/2011 होकर आप न्यायालय द्वारा दिनांक 19–05–2011 को स्टे प्रदान किया गया, जो आज तक आप न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है तथा प्रार्थी ने भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध क्रोस आब्जेक्शन आप न्यायालय में पेश कर रखा है, जिसमें पेशी दिनांक 30–10–2013 नियत है। उक्त अपील के अलावा भी अन्य न्यायालयों में उक्त जमीन बाबत् कई मुकदमे चल रहे हैं, जहां से भी स्थगन आदेश जारी है। न्यायालयों के स्थगन होते हुए भी उक्त जमीन खुर्द–बुर्द की जा रही है एवं रेकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3/3 हिम्मतसिंह ने वादग्रस्त जमीन में अपना हिस्सा दिनांक 15–07–2010 को श्रीमती शारदा को विक्रय कर दिया व श्रीमती शारदा यह जानते हुए कि न्यायालय में केस चल रहा है, फिर भी दिनांक

04–04–2013 को उक्त जमीन के हिस्से को श्रीमती किरण सिंह रावत को विक्रय कर दी। इसी प्रकार अपीलान्ट भूपेन्द्र स्वयं ने आप न्यायालय से स्थगन ले रखा है, फिर भी अपना 1/3 हिस्सा मोहम्मद सिद्धीक को दिनांक 18–06–2013 को नुमाईशी विक्रय कर दिया है। स्थगन की जानकारी होते हुए भी विपक्षीगण ने कानून को ताक में रखकर सारी कार्यवाही मिलीभगत से करायी है। प्रार्थी ने अखबार से भी एक आम सूचना उक्त जमीन के क्रय विक्रय करने बाबत् जरिये अधिवक्ता छपवायी थी, जिसका ज्ञान विपक्षीगण को था, परन्तु उन्होंने कानून ताक में रखकर सारी कार्यवाही करवायी है, जो न्यायालय आदेश की अवमानना होने से विपक्षी को कठोर सजा दी जावे एवं उनकी सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश प्रदान कराया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में आवेदन द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश की आदेशिका दिनांक 09–05–2011 से लेकर दिनांक 08–05–2013 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। इसी प्रकार धर्मसिंह द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही बाबत् सिविल न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण के आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां पेश की। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रकरण संख्या 128/2011 की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां पेश की। इसी प्रकार भूपेन्द्रसिंह द्वारा मोहम्मद सिद्धीक के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र, हिम्मतसिंह द्वारा श्रीमती शारदा को किये गये विक्रय पत्र एवं श्रीमती शारदा द्वारा किरण सिंह रावत के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के अवमानना याचिका आवेदन को खारिज करने तथा विक्रय पत्र विधि सम्मत होने का कथन किया। तथाकथित विक्रय पत्र के समय विपक्षी के खिलाफ किसी प्रकार की स्थगन जारी नहीं था। आवेदन असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। अतएवं खारिज किया जावे।

इसी प्रकार विपक्षी संख्या 2 ने भी खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 ने अपना हिस्सा श्रीमती शारदा को विक्रय किया एवं श्रीमती शारदा ने श्रीमती किरण को भूमि विक्रय कर दी, जिससे राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 4 श्रीमती किरण का नाम अंकित है। तत्समय

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं था। प्रार्थी ने दुर्भावना पूर्वक उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में आवेदन धर्मसिंह द्वारा अपने बयान करवाये गये। इसी प्रकार विपक्षी की शहादत में विपक्षी संख्या 1 भूपेन्द्रसिंह के बयान करवाये गये।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील आवेदन द्वारा अपने आवेदन में लिखित कथनों को ही दोहराते हुए अवमानना याचिक सिद्ध होना बताया। वहीं वकील विपक्षी द्वारा अवमानना याचिका सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

→ हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में आवेदन निम्न दो आधारों पर यह अवमानना याचिका आवेदन प्रस्तुत किया है :–

1. आवेदक का यह कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3/3 हिम्मतसिंह ने वादग्रस्त जमीन में से अपना हिस्सा श्रीमती शारदा को दिनांक 15–07–2010 को विक्रय कर दिया तथा श्रीमती शारदा ने उक्त जमीन का केस चलने के दौरान दिनांक 04–04–2013 को उक्त भूमि श्रीमती किरण सिंह को विक्रय कर दी।

   प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि इस न्यायलय द्वारा दिनांक 19–05–2011 को एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया गया था। जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3/3 हिम्मतसिंह द्वारा श्रीमती शारदा को विक्रय किये जाने का प्रश्न है, उक्त विक्रय दिनांक 15–07–2010 को किया गया था, जो स्थगन आदेश जारी किये जाने से पूर्व का है। तद्नुसार इस विक्रय को किसी प्रकार से न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में आवेदक द्वारा दिनांक 08–03–2013 तक की ही आदेशिकाऐं प्रस्तुत की गयी हैं। इन आदेशिकाओं के अवलोकन से यह कदापि प्रकट नहीं आता है कि प्रकरण में हस्ब आदेशिका तथा अपील मीमों हिम्मतसिंह की क्रेता श्रीमती शारदा अपील में पक्षकार हो, तो फिर उसके द्वारा दिनांक 04–04–2013 को जो विक्रय श्रीमती किरण सिंह के पक्ष में किया गया है, उसे अवमानना का दोषी माने जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अपील में वह पक्षकार ही नहीं है एवं इस

न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी उसे होने बाबत् कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार आवेदन का इन विक्रय पत्रों के सन्दर्भ में अवमानता का कोई प्रकरण प्रमाणित नहीं होता है।

2. प्रकरण में जहां तक अपीलान्ट भूपेन्द्रसिंह द्वारा अपना 1/3 हिस्सा मोहम्मद सिद्धीक को विक्रय किये जाने का प्रश्न है, यह विक्रय भी दिनांक 18–06–2013 का है एवं उक्त दिनांक को स्थगन आदेश प्रचलित हो इस बाबत् आवेदक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवेदक द्वारा जो आदेशिकाऐं प्रस्तुत की गयी है, वह दिनांक 08–05–2013 तक ही प्रस्तुत की गयी है, जबकि विक्रय दिनांक 18–06–2013 का है। किसी भी अवमानना याचिका को सिद्ध करवाने का दायित्व आवेदक/याची का होता है, जो उसके द्वारा सिद्ध नहीं कराया गया है, तद्नुसार इस विक्रय पत्र के सन्दर्भ में भी अवमानना याचिका प्रमाणित नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार यह सुस्पष्ट है कि आवेदक/याची ने अवमानना याचिक सिद्ध कराने के लिए कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतएवं पेश शुदा अवमानना याचिका प्रमाणित नहीं होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 31–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर